छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार,दिनांक 21 जुलाई, 2023 (आषाढ़ 30, 1945)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या–1 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या–02 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का अवैध खनन गतिविधियों पर बल देते हुए गौण खनिजों के खनन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2023 का प्रतिवेदन क्रमांक–3 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 10 वां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2020–2021 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री मोहन मरकाम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–2023 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री नारायण चंदेल, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, सदस्य, प्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्राहकों से निर्धारित लक्ष्य तक तेन्दूपत्ता की खरीदी नहीं होने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री होने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में हाथियों के हमलों से जनधन की हानि होने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में भू–माफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में भू–माफियाओं द्वारा उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में पेड़ों की कटाई कर अवैध बस्तियां बसाये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री किस्मत लाल नन्द, सदस्य, जल संसाधन विभाग के द्वारा बिला नाला जलाशय में बांध के डूबान से प्रभावित किसानों का मुआवजे की राशि न दिये की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, सहकारी बैंकों का समय पर निर्वाचन न होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य, जिला जांजगीर–चांपा की तहसील बम्हनीडीह में असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से भूमि का नामांतरण एवं कब्जा किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य, चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रदेश के निजी डेंटल कॉलेज में स्टे राउंड के तहत् प्रवेशित अभ्यर्थियों की फीस राशि नहीं मिलने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, कुरूद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम बंजारी बगौद में संचालित मेगा फूड पार्क में अनेक प्रकार की समस्या होने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, बेमेतरा जिला अंतर्गत तहसील भिंभोरी के ग्राम घटियाकला में दान दी गई जमीन को नियम विरूद्ध बिक्री किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

(13) श्री मोहित राम, सदस्य, पाली तानाखार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड पोड़ी उपरोड़ा एवं विकासखण्ड पाली के स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, भाटापारा विकासखण्ड अंतर्गत भाटापारा–धनेली सड़क निर्माण में प्रभावितों ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिलने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) श्री रामकुमार यादव, सदस्य, डभरा तहसील अंतर्गत डी.बी. पावर लिमिटेड, एथेना एनर्जी एवं आर.के.एम. जेन से संबंधित प्रभावित परिवारों हेतु पुनर्वास योजना नहीं बनाये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य, ग्राम नवागांव, तहसील अभनपुर में पेड़ों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, तहसील पोड़ी उपरोड़ा के राजस्व निरीक्षक मण्डल कोरबी के ग्राम सिरमिना में अनुसूचित जनजाति महिला की जमीन को जबरिया कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, सरगुजा के मैनपाट की चार पंचायतों की शासकीय भूमि पर कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) डॉ. विनय जायसवाल, सदस्य, मनेन्द्रगढ़ के खसरा नं. 198/1 की भूमि को नियम विरूद्ध रजिस्ट्री किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) श्री चंदन कश्यप, सदस्य, जिला कोण्डागांव के मसोरा में एन.एच.ए.आई. द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में सुरक्षा मापदण्डों का पालन नहीं किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य, गौरेला गुरूकुल विद्यालय के छात्रों को पुराने आई.टी.आई. के छात्रावास में शिफ्ट किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(22) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य, जिला सक्ती अंतर्गत जैजैपुर से मालखरौदा होते हुए गोबराभांठा तक सड़क निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिलने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गोबर खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य, जिला जांजगीर–चांपा में पंजीकृत सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित चांपा के द्वारा संस्था की जमीन की बिक्री में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 4

(26) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, राज्य में कार्यरत मितानिनों का मानदेय 5000/–प्रतिमाह दिये जाने से वंचित रखे जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) डॉ. विनय जायसवाल, सदस्य, कोरिया जिला अंतर्गत चिरमिरी के गोदरीपारा में संचालित शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान संचालक के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(28) श्री रामकुमार यादव, सदस्य, जिला रायगढ के विभिन्न ग्रामों के कृषकों को बिना प्रतिकर भुगतान के खनन किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(29) डॉ. प्रीतम राम, सदस्य, लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा किसानों को नहीं मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(30) डॉ. प्रीतम राम, सदस्य, लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(31) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, राजधानी रायपुर स्थित सत्य सांई आई हॉस्पिटल के संचालक द्वारा गलत इलाज किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(32) श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य, पवनी–रमतला–भण्डोरा मार्ग निर्माण में अधिग्रहित की गई भूमि का किसानों को मुआवजे की राशि नहीं मिलने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

4. मंत्रि–मंडल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, प्रस्ताव करेंगे कि –

''यह सदन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं उनके मंत्रि–मंडल के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है।''

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 20 जुलाई, 2023